Misc. Case No –17/2018

District – Saharsa

==========

Chandan Kumar

Vs.

Collector, Saharsa & Ors.

==========

आदेश

05.11.2018 यह अभ्यावेदन माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-14814/2018 चंदन कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.09.2018 को पारित निदेश के आलोक में वादी चंदन कमार द्वारा समर्पित किया गया है। इस आवेदन पर अंतिम सुनवाई दिनांक 26.10.2018 को की गयी। सुनवाई के दौरान बंदोबस्तधारी एवं इनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित थे। यह अभ्यावेदन दो बिन्दुओं खान निरीक्षक, सहरसा द्वारा गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि में 20% बढ़ोतरी कर आगामी वर्ष की बंदोबस्ती राशि निर्धारित करने के विरूद्ध एवं दिनांक 19.12.2017 से 29.01.2018 तक ई–चालान बंद रहने के विरूद्ध समानुपातिक बंदोबस्ती राशि घटाने के लिए दायर की गयी है। आवेदक का कहना है कि सहरसा जिलों के बालूघाटों के लिए सम्पन्न लोक नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता के बावत आवश्यक प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम किश्त का भुगतान दिनांक 02.07.2016 को उनके द्वारा किया गया। इसके उपरांत निर्धारित सीमा के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना दिनांक 29.07.2016 को खान एवं भूतत्व विभाग में समर्पित किया गया जो दिनांक 27.12.2016 को अनुमोदित हुआ। खनन योजना के अनुमोदन के पश्चात सक्षम प्राधिकार SEIAA, Bihar से उन्हें तीन बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 16.03.2017 को स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके उपरांत इनके द्वारा कार्यादेश के लिए खान निरीक्षक, सहरसा से सम्पर्क किया गया, किन्तु कार्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-6526/2017 दायर किया गया। माननीय न्यायालय में दिनांक 10.11.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में खान निरीक्षक, सहरसा द्वारा पत्रांक 105 दिनांक 08.12.2017 से कार्यादेश निर्गत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2017 में पहली बार कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत भी वर्ष 2017 के लिए 20% की राशि बढ़ाकर बंदोबस्ती राशि निर्धारित की गयी, जिसके लिए आवेदक की देयता नहीं बनती है। साथ ही पुनः आगे वर्ष 2018में भी बढ़ी हुई राशि पर 20% बढ़ाकर बंदोबस्ती राशि निर्धारित की गयी। आवेदक का कहना है कि कार्यादेश निर्गत के 10 दिन पश्चात ही दिनांक 19.12.2017 से 29.01.2018 तक इनके ई–चालान अवरूद्ध कर दिया गया, जिससे खनन कार्य दिनांक 19.12.2017 से 29.01.2018 तक पूर्णतः बंद रहा। अतः उन्हें इस अवधि के लिए सामानुपातिक बंदोबस्ती राशि घटायी जानी चाहिए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि लोक नीलामी वर्ष 2016 में सम्पन्न हुई किन्तु बंदोबस्तधारी को कार्यादेश वर्ष 2017 के माह दिसम्बर, 2017 में प्राप्त हुआ, इसलिए 2017 ही

प्रथम वर्ष मानी जानी चाहिए। अतः खान निरीक्षक, सहरसा द्वारा 2017 को द्वितीय वर्ष मानकर 20% की बढ़ोतरी कर माँग पत्र निर्गत करना न्यायोचित नहीं है। अतः वर्ष 2017 को बंदोबस्ती का प्रथम वर्ष माना जाय एवं इसी क्रम में 2018 को द्वितीय एवं 2019 को तृतीय वर्ष मानते हुए 20% की वृद्धि की जाय। आवेदन के दूसरे बिन्दु के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 19.12.2017 से 29.01.2018 तक परिवहन चालान बिना किसी वैध कारण के बंद रहा। अतः अवधि के लिए बंदोबस्ती राशि समानुपातिक रूप से कम की जाय।

खान निरीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन दिनांक 09.10.2018 में उल्लेख है कि जिला खनन कार्यालय, सहरसा के पत्रांक 105/एम0 दिनांक 08.12.2017 से तीन बालूघाटों तुलसियाही, नौनैती एवं भपटोया बालूघाट के लिए कार्यादेश CWJC No.-6526/2017 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया गया है। पंचांग वर्ष 2017 के समानुपातिक बंदोबस्ती राशि 2016 के बंदोबस्ती राशि 20% बढ़ाकर निविदा पत्र के शर्त एवं बंधेज की कंडिका–2 के अनुरूप ही की गयी है। खान निरीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन में ई–चालान अवरूद्ध करने के संबंध में उल्लेखित है कि जिला खनन कार्यालय स्तर से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है एवं इंटरनेट की समस्या से यह हो सकता है। समाहर्त्ता, सहरसा के स्तर से भी खनन कार्य पर आलोच्य अवधि में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

दोनों पक्षों को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों को देखा। सहरसा जिला के सम्पूर्ण बालूघाटों की बंदोबस्ती पंचांग वर्ष 2016 से 31.12.2019 तक के लिये जून, 2016 में निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा दस्तावेज में बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त एवं बंधेज की कंडिका–1 में निम्न शर्त उद्धृत है :–

(क) (i) निविदा के शर्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(ii) निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर का तात्पर्य है कि निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें मान्य है। निविदा दस्तावेज की कंडिका–8 में उल्लिखित है कि बालूघाटों की बंदोबस्ती पंचांग वर्ष 2016 से 31.12.2019 तक के लिए मान्य होगी। द्वितीय वर्ष तथा उसके आगे के वर्ष के पूर्व के वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120% के समतुल्य होगी। वहीं कंडिका–12 में बंदोबस्तधारी द्वारा भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख है। निविदा दस्तावेज की कंडिका–19(xiii) यह उद्धृत है कि सफल निविदादाता को विभागीय अधिसूचना सं0–2887/एम0, दिनांक–22.07.2014 में उल्लेखित संचालन के नियम एवं शर्तों का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–1 की कंडिका–6 (iv) में भी यह निदेश निर्गत है कि बोली गई उच्चतम डाक राशि प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती राशि मानी जायेगी, द्वितीय तथा उसके आगे के वर्षों की बंदोबस्ती राशि उक्त वर्ष के पूर्व के बंदोबस्ती राशि के 120% के समतुल्य होगी। वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी निविदा समर्पित करने के समय ही इस तथ्य से अवगत है कि प्रत्येक वर्ष की बंदोबस्ती राशि पूर्व के वर्षों के 120% के समतुल्य होगी। सहरसा जिला के सम्पूर्ण जिला की बंदोबस्ती पंचांग वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक के लिए कराई गयी है। इसलिए वर्ष 2016 ही बंदोबस्ती अवधि के लिए प्रथम वर्ष मानी जायेगी।

अतः आवेदनकर्त्ता बंदोबस्तधारी के वर्ष 2017 को प्रथम वर्ष मानने एवं उसके आगे के वर्षों में 120% की वृद्धि करते हुए बंदोबस्ती राशि निर्धारित करने का अनुरोध उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में मान्य नहीं है।

आवेदन के दुसरे बिन्दु के संबंध में निम्न प्रावधान का उल्लेख आवश्यक है :–

निविदा दस्तावेज की कंडिका–19 (xii) में खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यावधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षति देय नहीं होगी। खान निरीक्षक, सहरसा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की माँग जिस अवधि के लिए की जा रही है, उस अवधि में खनन कार्य पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं था। चूँकि बंदोबस्ती की अवधि 31.12.2019 तक के लिये मान्य है तथा बंदोबस्तधारी की किसी त्रुटि अथवा अनियमितता के चलते प्रेषण प्रभावित हुआ तो भी बंदोबस्तधारी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित खनिज की अधिकतम मात्रा का उत्खनन/प्रेषण उक्त तिथि तक कभी भी कर सकते हैं। अतः बंदोबस्तधारी के क्षतिपूर्ति का दावा निविदा दस्तावेज की कंडिका–19 (xii) के आलोक में स्वीकार्य योग्य नहीं है।

उपरोक्त के अनुसार यह अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः–4190/एम0, पटना, दिनांक 5/11/18

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, सहरसा/खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सहरसा/चन्दन कुमार, पिता–श्री भादो सिंह, पता–गाँव–तुलसियान, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव